संख्या:174/2019/490/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 22 फरवरी,2019

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जारी शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखीमपुर खीरी में शासनादेश संख्या-156/2019/472/35-4-2019 दिनांक 21 फरवरी,2019 द्वारा विधान सभा क्षेत्र-धौरहरा के 03 कार्यों की लागत रू.500.00 लाख की लागत पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये रू. 341.24 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश में इंगित तालिका के क्रमांक-1 पर अंकित कार्य यथा- **ऐरा ईसानगर (अन्य जिलामार्ग) के किमी0-4 एवं 5(790) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य** हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी। तालिका के क्रमांक-2 व 3 पर अंकित कार्य हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था यथावत रहेगी।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 फरवरी,2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:174/2019/490(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखीमपुर खीरी ।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,लखीमपुर खीरी।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in